न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

मिसल नंबर 79/15 निर्णय दिनाक 11.05.2017

1. रामचन्द्र पुत्र देव्या उर्फ देवीलाल जाति माली निवासी आंवा तहसील कनवास।
2. कैलाशबाई पुत्री देव्या उर्फ देवीलाल पत्नि श्योपाल जाति माली निवासी आंवा तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपस्थित :-

वादीगण स्वंय

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार

दावा इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वांद पत्र पेश कर निवेदन किया कि माल ग्राम आंवा मे जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 में खाता संख्या 230 की खसरा नंबर 1806 रकबा 0.08, खसरा नंबर 1807 की रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 1808 की रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1809 की रकबा 0.56 है0, खसरा नंबर 1810 की रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 1865 की रकबा 0.41 हे0, कुन ,खसरा किता 06 की रकबा 2.05 है0, आराजी स्थित है।

यह कि उत आराजी में 1/4 हिस्सा रामनारायण का 1/4 हिस्सा प्रताप का 1/4 हिस्सा देव्या का 1/4 हिस्सा गोपाल का था इन चारों की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रत्येक के हिससे की भूमि उनके वारिसान में दर्ज हो चुकी है। परन्तु देव्या के हिस्से 1/4 की भूमि में दर्ज किये गये वारिसान में देव्या की बेवा का नाम गलत दर्ज हो गया है। देव्या का सजरा वंश निम्न प्रकार है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

देव्या

रामचन्द्र(पुत्र)	कैलाश(पुत्री)	सुन्दरबाई फोत(बेवा)

यह कि देव्या की एक ही पत्नी थी जिसका नाम सुन्दरबाई था तथा वादीगण सुन्दरबाई की है जायंदा औलाद है देव्या की मृत्यु के बाद फोती इन्तकाल में देव्या के वारिसान में उसके पुत्र व पुत्री का तो नाम सही दर्ज किया परन्तु बेवा का नाम सुन्दरबाई के स्थान पर गुलाबबाई दर्ज कर दिया उक्त नाम को कभी दुरूस्त कराने की आवश्यकता महसूस नंही हुई अब सुन्दरबाई फोत हो गई तो उसके नाम को डिलीट कराने के लिए पटवारी के पास गये तो पाया कि वादीगण की माता का नाम खाते में गलती से सुन्दरबाई के स्थान पर गुलाबबाई दर्ज हो रहा है। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह नाम दुरूस्त कराये तथा उसके स्थान पर उसके हिस्से पर स्वंय को खातेदार घोषित कराकर मृतक का नाम डिलीट करावे इस हेतु तहसीलदार सा0 को प्रार्थना पत्र देने पर उन्होने दावा दायरी के निर्देश दिये ।

वादी द्वारा पुनः वाद पत्र में अपने अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया ग्राम आंवा में खसरा संख्या 230 की खसरा नंबर 1806 रकबा 0.08, खसरा नंबर 1807 की रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 1808 की रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1809 की रकबा 0.56 है0, खसरा नंबर 1810 की रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 1865 की रकबा 0.41 हे0, कुन ,खसरा किता 06 की रकबा 2.05 है0, आराजी में दर्ज गुलाबबाई बेवा देव्या को दुरूस्त कर सुन्दरबाई बेवा देव्या दर्ज किया जावे तथा उसका देहान्त हो जाने से उसके नाम को डिलीट किया जाकर उसके हिस्से पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई तथा पत्रावली को सुनवाई हेतु लोक अदालत शिविर में रखा गयी। वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि माल ग्राम के खसरा नंबर 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1865, कुल खसरा किता 06 की रकबा 2.05 है0, भूमि पर गुलाबबाई बेवा देवा हि0 1/4 कौम माली के स्थान पर सुंदरबाई पत्नि देवा हि0 1/4 कौम माली दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अनुशंषा की गई साथ ही सुन्दरबाई की मुत्यु हो जाने उपरान्त उनके जायज वारिसान रामचन्द्र(पुत्र) कैलाशबाई (पुत्री) मौजूद होने से राजस्व रिकार्ड में गुलाबबाई के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र कैलाशबाई पुत्री देव्या हि0 1/4 कौम माली दर्ज करने की अनुशंषा की गई साथ ही उप सरपंच ग्राम पांचायत आंवा द्वारा साक्ष्य के रूप में एक प्रमाण--पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि ग्राम आंवा में रामचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी आंवा के रहने वाले है इनकी माता का नाम सुन्दर बाई है जो लगभग 15 वर्ष पूर्व फोत हो चूकी है, गुलाबबाई, सुन्दरबाई की सगी बहन है जो निवास ग्राम आंवा के घास भैरू चौक में रहती है साथ ही वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में कान्तीचन्द पुत्र पन्नालाल जाति खाती सा0 आंवा एवं कृष्णमुरारी पुत्र रामनारायण जाति अहीर सा0 आंवा को तस्दीक के रूप में पेश किया।

हमारे द्वारा वाद पत्र में संलग्न दस्तावेंजो, जवाब सरकार एवं साक्ष्य के रूप में सलग्न दस्तावेंजो का अवलोकन किया गया इससे हम इस निष्कर्श पर पहुचते है कि माल ग्राम आंवा के खसरा नंबर 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1865, कुल खसरा किता 06 की रकबा 2.05 है0, भूमि पर गुलाबबाई बेवा देवा का नाम गलती से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हुआ है जिसके स्थान पर सुन्दरबाई

पत्नि देवा कौम माली हि0 1/4 दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है साथ ही सुन्दरबाई की मुत्यु हो जाने उपरान्त उनके जायज वारिसान रामचन्द्र(पुत्र) कैलाशबाई (पुत्री) मौजूद होने से राजस्व रिकार्ड में गुलाबबाई के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र कैलाशबाई पुत्री देव्या हि0 1/4 कौम माली दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम आंवा में खाता संख्या 230 की खसरा नंबर 1806 रकबा 0.08, खसरा नंबर 1807 की रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 1808 की रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1809 की रकबा 0.56 है0, खसरा नंबर 1810 की रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 1865 की रकबा 0.41 हे0, कुन ,खसरा किता 06 की रकबा 2.05 है0, आराजी में दर्ज गुलाबबाई बेवा देव्या को दुरूस्त कर सुन्दरबाई बेवा देव्या दर्ज किया जावे तथा सुन्दरबाई का देहान्त हो जाने से उसके नाम को डिलीट किया जाकर उसके हिस्से पर वादीगण रामचन्द्र पुत्र देव्या उर्फ देवीलाल व कैलाशबाई पुत्री देव्या उर्फ देवीलाल को खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिंनाक 11.05.2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार ...)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत
उपखण्ड प्रभार कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

1. रामचन्द्र पुत्र देव्या उर्फ देवीलाल जाति माली निवासी आंवा तहसील कनवास।
2. कैलाशबाई पुत्री देव्या उर्फ देवीलाल पत्नि श्योपाल जाति माली निवासी आंवा तहसील कनवास।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर, टी एक्ट

मुकदमा नं 79/15 सन 2015 निर्णय दिनाक 11.05.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण स्वंय एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है माल ग्राम आंवा में खाता संख्या 230 की खसरा नंबर 1806 रकबा 0.08, खसरा नंबर 1807 की रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 1808 की रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1809 की रकबा 0.56 है0, खसरा नंबर 1810 की रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 1865 की रकबा 0.41 हे0, कुग ,खसरा किता 06 की रकबा 2.05 है0, आराजी में दर्ज गुलाबबाई बेवा देव्या को दुरूस्त कर सुन्दरबाई बेवा देव्या दर्ज किया जावे तथा सुन्दरबाई का देहान्त हो जाने से उसके नाम को डिलीट किया जाकर उसके हिस्से पर वादीगण रामचन्द्र पुत्र देव्या उर्फ देवीलाल व कैलाशबाई पुत्री देव्या उर्फ देवीलाल को खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मीज ... X ...मुबलिग .... X ... बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/05/2017 को जारी की गई।

मोहर .....

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(प्रमोद कुमार आर ए एस)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड प्रभार कनवास